●हमारा उद्देश्य – आपकी उन्नति●

अल्मोड़ा अर्बन को–आपरेटिव बैंक लि0
(उत्तर भारत का सबसे बड़ा नगर सहकारी बैंक)
प्रधान कार्यालय:
गुरूरानी काम्प्लेक्स, लाला बाजार, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)

ALMORA URBAN CO-OPERATIVE BANK LTD.
The largest Urban Co-operative Bank in North India)
Head Office :
Gururani Complex, Lala Bazar, ALMORA (Uttarakhand)

पत्रांक– 138 / ऋण अनुभाग / 2026–27

दिनांक– 13.04.2026
अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण
ई–मेल से

समस्त शाखा प्रमुख
अल्मोड़ा अर्बन को–आपरेटिव बैंक लि0,

विगत वित्तीय वर्ष में बैंक के ऋण व्यवसाय में लक्ष्यानुरूप वृद्धि किये जाने हेतु बैंक के प्रोसेसिंग शुल्कों में कमी की गयी थी एवं वाहन ऋणों के प्रोसेसिंग शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की गयी थी, इसके उपरान्त भी बैंक के ऋण व्यवसाय में आशानुरूप वृद्धि नहीं हुई है, जबकि प्रोसेसिंग शुल्क में कमी किये जाने से बैंक की लाभप्रदता में कमी आयी है। इसके अतिरिक्त हमारे बैंक के ऋणों के प्रोसेसिंग शुल्क की तुलना अन्य बैंकों से किये जाने पर संज्ञान में आया है कि हमारे बैंक के ऋणों के प्रोसेसिंग शुल्क अत्यन्त कम हैं, जिस कारण प्रोसेसिंग शुल्क में निम्नानुसार आंशिक बढ़ोत्तरी की गयी है–

क्र0सं0	ऋण राशि	प्रोसेसिंग शुल्क
01.	रू0 01.00 लाख तक	रू0 500.00 + जी0एस0टी0
02.	रू0 01.00 लाख से अधिक एवं रू0 03.00 लाख तक	रू0 750.00 + जी0एस0टी0
03.	रू0 03.00 लाख से अधिक एवं रू0 05.00 लाख तक	रू0 1000.00 + जी0एस0टी0
04.	रू0 05.00 लाख से अधिक एवं रू0 10.00 लाख तक	रू0 2000.00 + जी0एस0टी0
05.	रू0 10.00 लाख से अधिक एवं रू0 30.00 लाख तक	रू0 3000.00 + जी0एस0टी0
06.	रू0 30 लाख से अधिक	स्वीकृत ऋण राशि का 0.1% + जी0एस0टी0
07.	अधिकतम	रू0 1.00 लाख+जी0एस0टी0

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 15.04.2026 से ऋणों में उक्तानुसार प्रोसेसिंग शुल्क लिया जाना सुनिश्चत करेंगे।

नोटः– ***किसी भी परिस्थिति में प्रोसेसिंग शुल्क में छूट दिये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।***
रू0 50.00 हजार तक के प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने वाले ऋणों में कोई भी शूल्क नहीं लिया जायेगा।

(पी0सी0 तिवारी)
S.S. NO. 01
प्रबन्ध निदेशक / सी.ई.ओ.

प्रतिलिपिः

1. महाप्रबन्धक, प्रधान कार्यालय, अल्मोड़ा को सूचनार्थ।
2. महाप्रबन्धक, आई0टी0, प्रशासनिक कार्यालय, दमुवाढूंगा, हल्द्वानी को सूचनार्थ।
3. मुख्य अनुपालन अधिकारी, प्रधान कार्यालय अल्मोड़ा को उक्तानुसार सूचनार्थ।
4. मुख्य ऑडिट अधिकारी, ऑडिट कक्ष, मीरामार्ग हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ कि ऑडिट के दौरान उक्तानुसार जांच किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
5. ऋण अनुभाग, प्रधान कार्यालय अल्मोड़ा को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रबन्ध निदेशक / सी.ई.ओ.

ALL_BM_LETTERS_2026-277 (05962)-230743, 231947, फैक्स:(05962)-237703, 236036
E-mail : info@almoraurban.bank.in Visit us : www.almoraurban.bank.in